मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

---

ज्ञापन

क्रमांक 620 /865/1(3)/72 भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- गोपनीय रिपोर्ट में से प्रतिकूल प्रविष्टियां सूचित करने के संबंध में।

***

उपर्युक्त विषय पर जारी किये गये सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2788/205/1(3)/61 दिनांक 29-10-1963 तथा पुस्तक परिपत्र भाग । क्रमांक 8 में दिये गये आदेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अराजपत्रित शासकीय कर्मचारियों के कार्य पर लिखी जाने वाली गोपनीय रिपोर्ट में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियां उन्हें सूचित की जानी चाहिये और उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रतिवेदन करने के लिये अवसर दिया जाना चाहिये। उक्त आदेशों के होते हुए भी शासन के यह ध्यान में लाया गया है कि संबंधित कर्मचारियों को उनके विरुद्ध गोपनीय रिपोर्ट में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियां समय पर सूचित नहीं की जाती और इस कारण उन्हें प्रतिकूल टीका के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असुविधा होती है तथा पदोन्नति के समय इससे विशेष रूप से बाधा उत्पन्न होती है ।

2/ उपर्युक्त दर्शायी परिस्थिति में शासन चाहता है कि भविष्य में संबंधित कर्मचारियों को उनके गोपनीय रिपोर्ट में लिखी गई प्रतिकूल प्रविष्टियां समय पर सूचित की जाए ।

( कु0 वि0 गर्दे )
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

=2=